न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 114/24
सीसीएमएस नं. 2024/296

दायर दिनांकः 20.08.2024

उनवान

1 सुशीला पुत्री भँवर पत्नि सिरमौहर जाति माली नि. वार्ड नं. 14 समूची खेड़ली गंज तह. कठूमर जिला अलवर 2 किरन पुत्री भँवर पत्नि गोविन्द जाति माली नि. वार्ड नं. 4 रोठ का मठ खेड़ली रेल तह. कठूमर जिला अलवर राज.।

--वादीगण

बनाम

1 भँवरसिंह पुत्र सेडू जाति माली नि. भायला बास पौद्दार वाला बल्लभगढ़ तह. भुसावर 2 सोनबाई पुत्री भँवरसिंह पत्नि चेतराम जाति माली नि. गालाखेड़ा तह. कठूमर हाल नि. भायला बास बल्लभगढ़ तह. भुसावर 3 चेतराम पुत्र सरमन जाति माली नि. गालाखेडा हाल नि. भायला बास बल्लभगढ़ तह. भुसावर 4 लखन 5 ऋषिकपूर पुत्रान रमेश 6 कमलेश पुत्री रमेश जातियान माली नि. गालाखेडा तह. कठूमर जिला अलवर राज.

--प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता:–

1 श्री पप्पूराम --वादीगण

निर्णय दिनांक 17.02.2025

वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता यह दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 1228 रकबा 1.10, 902 रकबा 1.03 हैक्टे. किता 2 रकबा 2.13 हैक्टे. का 1/8 हिस्सा व आ.ख.नं. 880 रकबा 0.69 हैक्टे. का 1/20 हिस्सा, एवं आ.ख.नं. 890 रकबा 0.76, 896 रकबा 0.55, 897 रकबा 0.70, 901 रकबा 0.21 हैक्टे. किता 4 कुल रकबा 2.27 हैक्टे. का 1/8 हिस्सा वाके ग्राम बल्लभगढ तह. भुसावर का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार है। जबकि मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वाहिस्सा बराबर 4/5 हिस्से के व प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 6 वाहिस्सा बराबर 1/5 हिस्से के काविज रहकर शान्ति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे है तथा इसी प्रकार से राज लगान राज्य सरकार को अदा कर रहे है।

उक्त वर्णित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 4 लगायत 6 की संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रिक आराजी है, जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 4 लगायत 6 को अपने बाबा/पिता/नाना स्व. सेडू से बाई बर्थ विरासत में प्राप्त हुई है, जिस पर वादीगण अपने बाबा के जीवनकाल से ही काविज रहकर शान्ति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 परिवार का कर्त्ता खानदान होने की वजह से आराजी की खातेदारी का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होती चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या 1 के कोई पुत्र सन्तान नहीं है, जिसमें से प्रतिवादिनी संख्या 2 सोनबाई पुत्री अपने पति चेतराम को साथ लेकर प्रतिवादी संख्या 1 के यहाँ बल्लभगढ में ही रहती है,

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

उन्होंने प्रतिवादी संख्या 1 को अपने वहकावे में ले रखा है, जो वादीगण के हिस्से की भूमि को हड़पने के इरादे से अपने नाम पैत्रिक भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहती है। परन्तु प्रतिवादीगण बहुत ही चतुर एवं चालाक किस्म के व्यक्ति है, जो वादीगण को उनकी पैत्रिक आराजी से बेदखल करने के इरादे से आपस में कौलूजन करते हुए वादग्रस्त आराजी को दीगर व्यक्तियों के लिए रहन, वय व मुन्तकिल करने का कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

अतः वादीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त वर्णित आराजीयात को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम रही खातेदारी के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण को वाहिस्सा बराबर 2/5 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वाहिस्सा बरावर 2/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 वाहिस्सा बरावर 1/5 हिस्से काविज काश्तकार एवं खातेदार दर्ज किया जावें।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा करायी गयी। बाद रजिस्टर्ड डाक डिलीवरी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई गई।

एक पक्षीय कार्यवाही होने पर वादीगण की ओर से शपथ–पत्र सुशीला व किरन द्वारा पेश किया गया।

हमने बहस एकपक्षीय वादी वकील से सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इसके आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आ.ख.नं. 1228 रकबा 1.10, 902 रकबा 1.03, 880 रकबा 0.69, 890 रकवा 0.76, 896 रकबा 0.55, 897 रकबा 0.70, 901 रकबा 0.21 हैक्टे. वाके ग्राम बल्लभगढ़ तह. भुसावर की आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 भॅवरसिंह के नाम हो रही खातेदारी के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण वाहिस्सा बराबर 2/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वाहिस्सा बराबर 2/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 वाहिस्सा बराबर 1/5 हिस्से काविज काश्तकार एवं खातेदार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)